संख्या-05/2017/11/26-3-2017-10(28)/1999

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 03जनवरी, 2017

विषयः- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत 03-अखिल भारतीय बंजारा उदासीन आश्रम, वृन्दावन रोड मथुरा के भवन जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-117/2016/1680/26-3-2016-10(28)/1999, दिनांक-14.06.2016 के क्रम में निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक संख्या-1691/स0क0/आ0प0वि0-मरम्मत/2016-17, दिनांक-30.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय बंजारा उदासीन आश्रम, वृन्दावन रोड मथुरा के भवन जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-1,50,00,000/-(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपया-75,00,000/-(रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही धनराशि आहरित करके कार्यदायी संस्था, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जायेगा। ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें। उक्त प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिर्वतन, अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान सं0-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण-80-सामान्य-101-अनधिसूचित तथा अन्य खानाबदोश जनजातियों का कल्याण-03-अखिल भारतीय बंजारा उदासीन आश्रम, वृन्दावन रोड, मथुरा को अनावर्तक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

संख्या-05/2017/11 (1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मथुरा।
5- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, मथुरा, जनपद इकाई।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण,उ0प्र0 शासन।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।